## रिट पिटीशन क्र. 6378/2023 ( श्यामधारी जैसवार बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य )

श्री श्यामधारी जैसवार दैनिक वेतन भोगी स्थाई कमी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन क्र. 6378/2023 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई है :–

> माननीय न्यायमूर्ति महोदय से निवेदन है की प्रतियाचिकाकर्ता के द्वारा जारी किया गया आदेश क्रमांक 119/स्था./का.य./लोस्वायावि./2017 दिनांक 16.03.2017 संलग्न पी–5 को अवैध एवं अनुचित घोषित किया जाकर निरस्त किया जावे तथा प्रतियाचिकाकर्ता को निर्देशित किया जावे की याचिकाकर्ता को म.प्र.पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.01.1989 से मेशन (चतुर्थ श्रेणी) के पद का वेतनमान निर्धारित करते हुए वेतनमान वेतन वृद्धि हाउस रेन्ट एवं अन्य लाभ नियमिति करण के आधार पर वेतन के अंतर की राशि का भुगतान किये जाने के आदेश व निर्देश प्रदान किये जावे जो न्यायोचित होगा । अन्य सहायता एवं व्यय के जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान करें।

उपरोक्तानुसार श्री श्यामधारी जैसवार दैनिक वेतन भोगी स्थाई कर्मी द्वारा मेशन के पद का नियमित स्थापना/कार्यभारित स्थापना का वेतनमान, सेवा में नियोजित किये जाने के 240 दिवस पश्चात् से वर्तमान समय तक की एरियर राशि सहित चाही गई है। इस संबंध में लेख है कि कर्मचारी सेवा से पृथक किये जाने के पूर्व यानि दिनांक 10.05.1989 तक दैनिक वेतन भोगी मेशन के पद पर नियोजित था किन्तुं माननीय श्रम न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 143/02/आई.डी. रिफरेन्सा में पारित आदेश दिनांक 31..10.2003 के अनुपालन में वर्ष 2004 में उसे श्रमिक के पद पर नियोजित किया गया था।

## रिट याचिका के प्रतिरक्षण हेतु आधार

(1) श्री श्यामधारी जैसवार द्वारा निम्न प्रकृति से स्थायी वर्गीकृत होने वाले श्रमिको को प्राप्त होने वाले लाभ चाहे गये हैं:–

> (अ) माननीय श्रम न्यायालय द्वारा सभी कार्य परिस्थितियों के विश्लेषण उपरान्त पारित किये गये न्यायलयीन निर्णयों के अनुपालन में स्थायी वर्गीकृत किये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी।
>
> (ब) मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाये) अधिनियम 1961,नियम 1963 के अनुपालन में प्रशासकीय आदेश के माध्यम से स्थायी वर्गीकृत किये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''म0प्र0 शासन एवं अन्य विरूद्ध ललित कुमार वर्मा (2007 1 एस.सी.सी. 575)'' एवं अवमानना याचिका क्रमांक 771/2015 ''रामनरेश रावत विरूद्ध श्री अश्विनी राय एवं अन्य'' में अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त यह भी निर्धारित किया गया है कि मात्र 6 माह/240 दिवस पर दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के रूप में कार्य करने से स्थाई वर्गीकरण की पात्रता उत्पन्न नहीं होती, जब तक कि इस हेतु स्थाई वर्गीकृत रिक्त पद उपलब्ध न हो।

**श्री श्यामधारी जैसवार के संबध में उपर उल्लेखित प्रकृति का कोई आदेश अस्तित्व में नही है।** साथ ही उनके नियोजन के समय राजधानी परियोजना खंड क्रमांक 01 भोपाल के अधीनस्थ स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी के पद ना तो स्वीकृत थे और ना ही रिक्त थे तथा वे रिक्त पदों के विरूद्ध कार्यरत भी

नहीं थे। **ऐसी स्थिति में निम्नलिखित न्यायदृष्टांतों के अनुसार वे स्थायी वर्गीकरण के योग्य भी नहीं थे :–**

1. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 6678/2004, म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध ओमकार प्रसाद पटेल निर्णय दिनांक 07.12.2005
2. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 5185/2006, म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध ललित कुमार वर्मा निर्णय दिनांक 24.11.2006
3. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 7006–7008/2009, रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य निर्णय दिनांक 17.09.2015
4. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 1265/2006, म.प्र.हाउसिंग बोर्ड विरूद्ध मनोज श्रीवास्तव निर्णय दिनांक 24.02.2006
5. माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील क्रमांक 337/2002, महेन्द्र एल.जैन एवं अन्य विरूद्ध इंदौर डेवलपमेंट अथारिटी एवं अन्य निर्णय दिनांक 22.11.2004
6. माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की रिट पिटीशन क्रमांक 1992/2006, म.प्र.शासन एवं अन्य विरूद्ध साहब सिंह, निर्णय दिनांक 05.05.2011
7. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन क्रमांक 4148/2000, 4149/2000 एवं 4151/2000 एवं 4152/2000 दिनांक 02.02.2017

**उपरोक्तानुसार उनके द्वारा की गयी मांग कि उनको नियोजित किये जाने के 240 दिवस के पश्चात् से ही पद का नियमित स्थापना/कार्यभारित स्थापना का न्यूनतम वेतनमान, वर्तमान समय तक प्रदान किया जावे, किसी भी भांति तथ्यों पर आधारित नहीं होने के कारण अमान्य किये जाने र्योग्य है।**

(2) यदि इस तरह के लाभ विभाग में कार्यरत कुछ समान प्रकृति के नियमित/कार्यभारित /दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को त्रुटिपूर्ण स्थायी वर्गीकरण आदेशों के कारण प्राप्त हुये है तो इस आधार पर **आप**को भी नियोजन के 240 दिवस पश्चात् से स्थायी वर्गीकरण के लाभ दिये जाने की पात्रता नहीं आती है क्योकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकरण **''इंडियन काउंसिंल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एवं अन्य विरूद्ध टी.के.सूर्यनारायणन एवं अन्य'' [(1997) एस.सी.सी. 766]** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कुछ लोगों को त्रुटिपूर्ण लाभ दिया गया है तो वह अन्य लोगों के लिये उस लाभ को प्राप्त करने का आधार नही बन सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया समानता के अधिकार को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

(3) **''म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रं. एफ 5–1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07.10.2016 — कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए ''स्थायी कर्मियों'' को विनियमित करने की योजनां''**के अतंर्गत उन्हें दैनिक वेतन भोगी पद के अनुरूप अकुशल श्रेणी के अंतर्गत विभाजित कर, शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान दिया गया है तथा उपरोक्तानुसार उनको उनकी पात्रता के अनुसारी वेतन संबधी सभी परिलाभ प्राप्त हुए है। उक्त लाभ को लेने हेतु उनके द्वारा स्वेच्छा से कार्यालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिससे वे आज भी बधे हुये है तथा वर्तमान याचिका उक्त शपथ पत्र का स्पष्ट उल्लधन है।

(4) यद्धपि उनके दावों को मेरिट के आधार पर खारिज किया गया है तथापि यदि उनके दावे के आधारों में किसी भी तरह की मेरिट होती तो भी उनके द्वारा प्रस्तुत इतनी लम्बी अवधि की वेतन एरियर राशि का दावा परिसीमा अधिनियम 1963 में निहित प्रावधानों के अनुसार भी अमान्य किये जाने योग्य होता। विवरण निम्नानुसार है :-

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''एम.आर.गुप्ता बनाम भारत संघ {(1995) 5 SCC 628 } प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण वेतन के प्रकरणों में कॉज ऑफ एक्शन सेवा में रहने के दौरान कभी भी उत्पन्न हो सकता है तथा यदि दावा मेरिट के आधार पर सही पाया जाता है तो तत्समय के वेतन का समय–समय पर संशोधित रूप में काल्पनिक निर्धारण किया जाएगा तथा पूर्व के वेतन एरियर के भुगतान के मामले में लिमिटेशन का प्रश्न उत्पन्न होगा तथा लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान लागू होंगे।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8014/2022 (सुरेश कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11 अप्रैल 2022, रिट पिटीशन क्रमांक 13892/2022 में पारित निर्णय दिनांक 24 जून 2022 (हृदय राम यादव एवं अन्य बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) एवं रिट पिटीशन क्रमांक 4802/2023 (श्रीनिवास मिश्रा बनाम म. प्र शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 01 मार्च 2023 में लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार एरियर राशि की पात्रता अवधि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने के दिनांक से 03 वर्ष पूर्व तक की अभिनिर्धारित की गई है।